प्रतीक्षा समाप्त, आगरा महायोजना–2031 का शासन ने किया अनुमोदन

- खुलेंगे चौतरफ़ा विकास के रास्ते, बढ़ेगा निवेश,
- औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा टाउनशिप, हस्तशिल्प ग्राम, मेगा एमएसएमई क्लस्टर, आयुष पार्क, हैंडिक्राफ़्ट सिटी, नॉलेज सिटी, मेडीसिटी आदि जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर होगा कार्य,
- शहर में विविध आर्थिक गतिविधियों, नदियों व जलीय संरचनाओं के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आमजन को सहूलियत देने की कई योजनाओं को किया गया है शामिल,
- जीआईएस आधारित महायोजना से नक्शे पास होने व नई प्लानिंग में होगी सुविधा, अवैध निर्माणों पर लगेगा अंकुश

बहुप्रतीक्षित आगरा मास्टर प्लान को आख़िरकार शासन की स्वीकृति सोमवार को प्राप्त हो गई। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव, पी० गुरुप्रसाद के 24 मार्च, 2025 के शासनादेश द्वारा प्राधिकरण को इस आशय की सूचना प्रेषित की गई है। इसी के साथ लगभग 05 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित मैराथन प्रक्रिया का पटाक्षेप हो गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019–20 से स्थलीय जीआइएस सर्वे का कार्य प्रारम्भ होने के बाद, प्रथम ड्राफ्ट जनवरी–2022 में प्रकाशित किया गया था। ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों, निर्यातकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के साथ प्राधिकरण द्वारा अनगिनत बैठकों का आयोजन किया गया। जनवरी–मार्च 2022 के समय जनसामान्य से आपत्ति सुझाव माँगे गये। कुल 603 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण करने के बाद वर्ष 2023 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा महायोजना का अंतिम ड्राफ्ट अनुमोदित किया गया। जनवरी–2023 व फरवरी–2024 में शासन स्तर पर दो बार उपाध्यक्ष द्वारा मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण शासकीय समिति को किया गया। शासकीय समिति के तकनीकी सुझावों का समायोजन करते हुए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा महायोजना को जून–2024 में स्वीकृति हेतु भेजा गया था। शासन स्तर पर कई दौर की बैठकों के पश्चात मा०मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरांत शासन द्वारा अब स्वीकृति जारी की गई है।

आगरा विकास प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् पहली महायोजना वर्ष 1971 से वर्ष 2001 तक प्रभावी थी, दूसरी महायोजना–2021 वर्ष 2004 में लागू हुई, जो वर्तमान तक प्रभावी थी। प्राधिकरण के मूल विकास क्षेत्र में नगर निगम एरिया सहित कुल 158 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं तथा विकास क्षेत्र लगभग 541 वर्ग किमी0 में फैला है।

मास्टर प्लान–2031 में विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या 32 लाख अनुमानित की गई है। महायोजना में लगभग 37615 हे० नगरीकृत क्षेत्र चिह्नांकित किया गया है, जिसमें लगभग 44.68% क्षेत्र आवासीय, 5% से अधिक औद्योगिक, लगभग 19.27% हरित पट्टी/हरित क्षेत्र/पार्क/मनोरंजन पार्क, यातायात/परिवहन हेतु लगभग 8.28%, सामुदायिक सुविधाओं एवं पर्यटन हेतु लगभग 10.15%, लगभग 3.84% क्षेत्र व्यवसायिक तथा अन्य उपभोग यथा– सीवेजफ़ार्म, संरक्षित स्थल, निषिध क्षेत्र, नदी/नाला/तालाब/पोखर/जलाशय/शमशान/कब्रिस्तान इत्यादि हेतु लगभग 7.21% रखा गया है।

उपाध्यक्ष द्वारा मास्टर प्लान को जनहित में दिशा देने हेतु विशेष रूप से तत्कालीन मण्डलायुक्त एवं वर्तमान मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह का धन्यवाद दिया गया, जिनके नेतृत्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा व्यापक विचार–विमर्श व चर्चाओं के बाद मास्टर प्लान का जो अनुमोदन किया उसे शासन स्तर पर भी अन्तिम रूप से सराहा गया। उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगरा मास्टर प्लान–2031 को आगरा विजन प्लान (सिटी डेवलपमेंट प्लान–2051) के साथ एकरूपता स्थापित करते हुए बनाया गया है।

मास्टर प्लान की प्रति आमजन के अवलोकनार्थ प्राधिकरण कार्यालय, प्राधिकरण की वेबसाइट, व समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

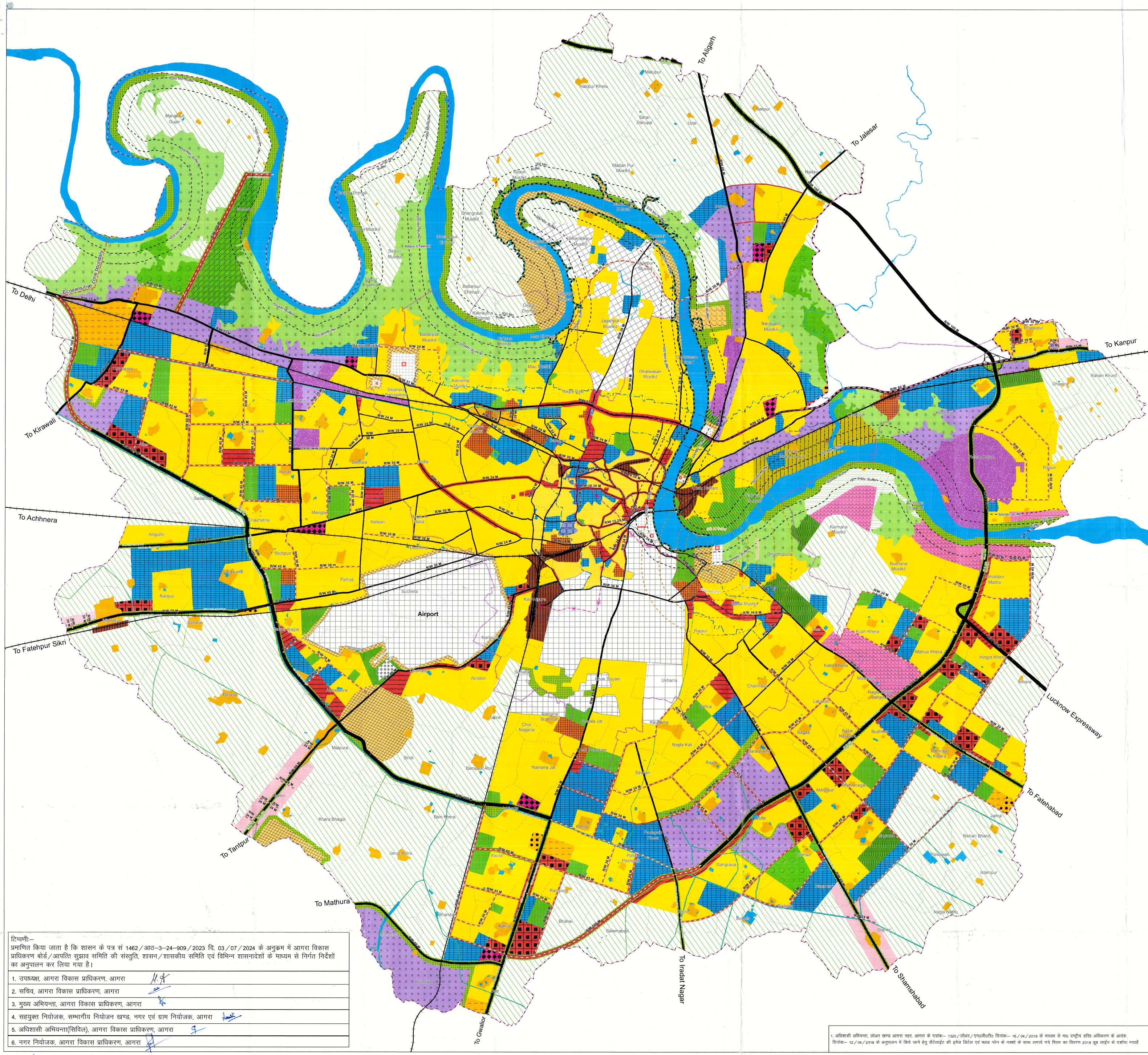

टिप्पणीः–
प्रमाणित किया जाता है कि शासन के पत्र सं 1462/आठ–3–24–909/2023 दि. 03/07/2024 के अनुक्रम में आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड/आपत्ति सुझाव समिति की संस्तुति, शासन/शासकीय समिति एवं विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है।

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
2. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
3. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
4. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजक, आगरा
5. अधिशासी अभियन्ता(सिविल), आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
6. नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

1. अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के पत्रांकः– 1320/लोअर/एन0जी0टी0 दिनांकः– 16/04/2019 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकः– 12/04/2019 के अनुपालन में किये जाने हेतु सैटेलाईट की इमेज डिटेल एवं फ्लड प्लेन के नक्शो के साथ लगाये गये पिलर का विवरण 2019 डूब लाईन से दर्शाया गयाहैं

आगरा महायोजना

2031

पैमाना –

RF 1:36,000 (A0 / 841 mm x 1189 mm)

1,250 625 0 1,250 2,500 3,750 5,000 Meters

उ.

संकेतिका

आवासीय
- ग्रामीण आबादी
- निर्मित क्षेत्र आवासीय
- आवासीय

व्यवसायिक
- बाजार स्ट्रीट
- नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक
- उप नगर केन्द्र/उप केन्द्रीय वाणिज्यिक
- सेक्टर/नेबरहुड
- थोक व्यवसायिक केन्द्र

उद्योग
- उद्योग (प्रदूषण रहित)

सामुदायिक सुविधायें
- सामुदायिक सुविधाऐं
- पर्यटन

कार्यालय
- कार्यालय

यातायात एवं परिवहन
- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग
- मेट्रो स्टेशन/मेट्रो लाइन
- रेलवे लाइन/रेलवे परिसर
- अंतर्राज्यीय बस अड्डा
- बस अड्डा
- ट्रक अड्डा
- हवाई अड्डा

मनोरंजन एवं खुले स्थल
- क्षेत्रीय पार्क
- जोनल पार्क
- मनोरंजन पार्क
- डिस्ट्रिक्ट पार्क
- राष्ट्रीय पार्क
- सेक्टर पार्क
- रिवरफ्रंट डवलपमेंट
- पौधशाला, नर्सरी
- हरित पट्टिका
- वन क्षेत्र

अन्य
- श्मशान, कब्रिस्तान
- सीवेज फार्म
- ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड
- संरक्षित स्थल
- निषिद्ध क्षेत्र
- नदी, तालाब, जलाशय,
- नाला, नहर

कृषि
- कृषि
- हाईवे फैसिलिटी जोन
- ग्राम सीमा
- नगर निगम सीमा
- विकास क्षेत्र सीमा
- टी. ओ. डी. ज़ोन
- 2019–डूब लाइन
- यूपीसीडा द्वारा घोषित विकास क्षेत्र
- दयालबाग क्षेत्र
- अपरिभाषित क्षेत्र (वर्तमान)
- अपरिभाषित क्षेत्र (प्रस्तावित)

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	
1. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा	अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	उपाध्यक्ष
3. जिलाधिकारी, आगरा	सदस्य
4. सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य
5. सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा	सदस्य
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य
8. अधिक्षण अभियन्ता द0वि0वि0नि0लि0, आगरा	सदस्य
9.अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।	सदस्य
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, आगरा	सदस्य
11.संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा	सदस्य
12.श्री शिव शंकर शर्मा, शासन द्वारा नामित	गैर सरकारी सदस्य
13.श्री नगेन्द्र प्रसाद दुबे, शासन द्वारा नामित	गैर सरकारी सदस्य
14.श्री विजय दत्त पालीवाल, शासन द्वारा नामित	गैर सरकारी सदस्य

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

मैसर्स रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड, नोएडा

REPL The Power of Knowledge

टीम लीडर	अर्बन प्लानर	जी. आई. एस. एक्सपर्ट